न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –351 / 2023

अनवान : –

1. अखिलेश पुत्र श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गिरदावरी पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. धापा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पुष्पा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तोष पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रोशनी पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मनीषा नाबालिग पुत्री मंजू पुत्री श्योनारायण जरिये संरक्षक पिता अनूप कुमार जाति नाई निवासी किरढान तहसील व जिला फतेहाबाद
8. मनीषा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72 / 68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86 / 83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि उपरोक्त दोनों खातो की भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के 1 / 7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 7 आरएमजी [illegible] नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74 / 73 के कुल खसरे [illegible] है0 भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के 2441 / 34155 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5. जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 12 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के नाम दर्ज भूमि पर वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण श्योनाराण दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योनारायण [illegible] के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है श्योनारायण पुत्र बेगराज [illegible] भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 5. जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 12 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के नाम दर्ज भूमि पर वादी अकेला काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि उपरोक्त दोनों खातो की भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के 2441/34155 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योनारायण पुत्र बेगराज के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है श्योनारायण पुत्र बेगराज फौत हो चुके है उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5. जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 12 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के [illegible] 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तह[illegible] 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3[illegible] है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज के नाम दर्ज भूमि पर वादी अकेला काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान` के अलावा श्योनारायण के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि उक्त तीनो खातों में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –351 / 2023

अनवान : –

1. अखिलेश पुत्र श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गिरदावरी पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. धापा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. पुष्पा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तोष पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रोशनी पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मनीषा नाबालिग पुत्री मंजू पुत्री श्योनारायण जरिये संरक्षक पिता अनूप कुमार जाति नाई निवासी किरढान तहसील व जिला फतेहाबाद
8. मनीषा पुत्री श्योनारायण जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। ।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 351 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 72/68 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि व रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 86/83 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3146 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 74/73 के कुल खसरे 43 का कुल क्षेत्रफल 6.8310 है0 भूमि उक्त तीनो खातों में मृतक श्योनारायण पुत्र बेगराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद [illegible] कार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर